न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 35/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00045

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	अभियुक्त :– 1. श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री जीतमल जैन मैसर्स नाथुलाल छबीलाल जैन मन्दिर के पास, बस स्टेण्ड बागीदौरा, बॉसवाडा 2. श्री मितेश शान्तिलाल जोशी (नोमिनी) m/s - Navjivan Roller Flour & Pules Mills Pvt.Ltd. Kumbharwada, Opp. Market Yard, Dahod, Gujarat

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा (राज) के द्वारा दिनांक 09–07–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 23–03–2021 को 12.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स नाथुलाल छबीलाल** जैन मन्दिर के पास, बस स्टेण्ड बागीदौरा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री जीतमल जैन उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर बेसन (ब्राण्ड नवजीवन) के 500–500 ग्राम के 35 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त बेसन (ब्राण्ड नवजीवन) के चार पैकेट विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए तथा इनकी कीमत 160 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। खरीद किये गये **बेसन (ब्राण्ड नवजीवन)** [illegible] अलग बनाकर डी. ओ एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा [illegible] कोड [illegible] सीरीयल नंबर W-754 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के [illegible] चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार सील बन्द कर अपने [illegible] में किया। उक्त चार नमुने भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला [illegible])
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करवाया। मौके पर m/s - Navjivan Roller Flour & Pules Mills Pvt.Ltd. Kumbharwada, Opp. Market Yard, Dahod, Gujarat के बिल क्रमांक N-8-12-53998 दिनांक 13.03.2021 की प्रति पेश की जिसके द्वारा उक्त **बेसन (ब्राण्ड नवजीवन)** की खरीद की गई है।

डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2021/177–178 दिनांक 05.05.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 76 दिनांक 16.04.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन (ब्राण्ड नवजीवन)** Violate Regulation 2.3.5 of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZI)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **बेसन (ब्राण्ड नवजीवन)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12–07–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 04.08.2021 को अभियुक्तगणो द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी. ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2021/177–178 दिनांक 05.05.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 76 दिनांक 16.04.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन (ब्राण्ड नवजीवन)** Violate Regulation 2.3.5 of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZI)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड पाया गया है। विक्रेता द्वारा **बेसन (ब्राण्ड नवजीवन)** मिस ब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 ... का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वीकार ... किया गया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **बेसन (ब्राण्ड नवजीवन) मिस ब्राण्डेड** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री जीतमल जैन मैसर्स नाथुलाल छबीलाल जैन मन्दिर के पास, बस स्टेण्ड बागीदौरा को 5000/– (अक्षरे रू. पॉच हजार मात्र), श्री मितेश शान्तिलाल जोशी नोमिनी मैसर्स नवजीवन रोलर फ्लोर एण्ड पल्स मील्स प्रा.लि. कुंभरवाडा दाहोद, गुजरात को 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिo जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner